न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 177 सन 2020

अनवान :–

1. सुभाषचन्द्र पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 08/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 108/97 की कुल 21.4230हैक भूमि वादी के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय वादी का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु वादी निवास स्थान सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया।

वादी का निवास स्थान ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादी का निवास स्थान भूरानपूरा तहसील टिब्बी अंकित है तो गलत है वादी अपना निवास स्थान सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी के अन्य सभी दस्तावेजात में निवास स्थान ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर अंकित है ।

वादी ने अपने निवास स्थान के समर्थन में मतदाता सूची , जाति प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड पेश किया जिनमें वादी का निवास स्थान ढाणी भाम्भूआन दर्ज है।

वादी का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी का राज्य सरकार से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त नही हो पा रही है इसलिये वादी अपना निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का निवास स्थान संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 108/97 की कुल 21.4230हैक भूमि वादी के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय वादी का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु वादी निवास स्थान सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया।

वादी का निवास स्थान ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादी का निवास स्थान भूरानपूरा तहसील टिब्बी अंकित है तो गलत है वादी अपना निवास

स्थान सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी के अन्य सभी दस्तावेजात में निवास स्थान ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर अंकित है ।

वादी ने अपने निवास स्थान के समर्थन में मतदाता सूची , जाति प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड पेश किया जिनमें वादी का निवास स्थान ढाणी भाम्भूआन दर्ज है वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया की रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 108/97 की कुल 21.4230हैक भूमि वादी के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है।

वादी का कथन है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है किन्तु निवास स्थान गलत तौर से दर्ज है जिसे सही करवाना चाहता है।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता सूची , जाति प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड पेश किया जिनमें वादी का निवास स्थान ढाणी भाम्भूआन दर्ज अर्थात वादी के प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादी का निवास स्थान ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर होना प्रतीत होता है।प्रस्तुत साक्ष्यों/सबुतो के अधार प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जा सकता है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 108/97 की कुल 21.4230हैक में वादी का निवास स्थान भूरानपुरा तहसील टिब्बी अंकित है के स्थान पर ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 8/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सुभाषचन्द्र पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 177 सन 2020 निर्णय दिनांक–08/03/21

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 108/97 की कुल 21.4230हैक में वादी का निवास स्थान भूरानपुरा तहसील टिब्बी अंकित है के स्थान पर ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)